न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

पील सख्या:–321/13 (जीसीएमएस नं. 2013/00033)

1. श्रीमती बानो पत्नी स्व. बदरूद्धीन उम्र 60 वर्ष जाति मुसलमान,
2. जावेद पुत्र बदरूद्धीन उम्र 28 वर्ष, जाति मुसलमान समस्त निवासी इस्लामपुर, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. मोबीन पुत्र गुलाब खॉ तंवर, जाति कायमखानी निवासी माखर तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. शौकत अली पुत्र अब्दुल जबार, जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम वार्ड नम्बर 1, इस्लामपुर, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.08.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 538 रकबा 1.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 598 रकबा 3.74 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रकबा 4.75 हैक्टयर वाके ग्राम इस्लामपुर तहसील व जिला झुझुनू में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 190 है, उक्त आराजीयात में से 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि की नोटरी द्वारा वसीयत बदरूद्धीन पुत्र नागर जाति मुसलमान नाई निवासी ग्राम इस्लामपुर को दिनांक 10.01.1970 को कराई गई क्योंकि रूकमुदीन ग्राम इस्लामपुर में ही बदरूद्धीन के साथ ही रहता था, बदरूदीन व इसके लड़के रूकमुदीन की देखभाल व सेवा सश्रुषा करते थे तथा ये ही लोग उसे खना–पीना देते थे तथा बदरूदीन व इसका परिवार ही रूकमुदीन की खातेदारी की जमीन में काश्त करने मे सहयोग करे थे, रूकमुदीन की मुत्यु के बाद अपीलार्थीगण उक्त जमीन पर कब्जे काश्त में है, रूकमुदीन की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के आधार पर कुल जमीन में से 15 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 3.08 हैक्टयर जमीन का नामान्तरकरण रूकमुदीन की वसीयत व काबिज काश्त के आधार पर बदरूदीन के नाम व बदरूदीन की मृत्यु के बाद बदरूदीन के वारिसान श्रीमती बानो पत्नी बदरूदीन व जावेद पुत्र बदरूदीन निवासी इस्लामपुर के नाम दर्ज होना चाहिये था, इस बाबत अपीलार्थीगण ने तहसीलदार झुन्झुनू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन भी किया कि रूकमुदीन की मृत्यू के बाद सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण गलत रूप से रूकमुदीन के बेटे अब्दुल गफार इब्राहिम, आमिन व अली मोहम्मद के नाम दर्ज कर दिया गया तथा

P.T.O.

अब्दुल गफार की मृत्यु के बाद गलत रूप से उसके वारिसान जब्बार, सबीर, सकील, खलीर नासिर के नाम दर्ज कर दिया गया तथा इब्राहिम व अली मोहम्मद ने गलत नामान्तरकरण के आधार पर अवैधानिक रूप से जमीन का दिनांक 27.082012 को मोबिन व शैकत अली को विक्रय कर दिया, उक्त अवैधानिक विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 544 दिनांक 08.10.2012 को गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जो विधि विधान व न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2012 पारित किया है जो काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील संख्या 197/2012 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपील को गुणावगुण पर बिना सुने ही अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज कर निर्णय दिनांक 20.12.2012 पारित किया है, जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजीयात के कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट रूकमुदीन पुत्र अलाऊदीन ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की स्व.अर्जित आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 29 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा इस्लामुपुर में स्थित में से 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 10.01.1970 को जरिये वसीयतनामा के बदरूदीन पुत्र स्व. नागर मुसलमान नाई निवासी इस्लमपुर के हक में तहरीर व तकमील करते हुये दी थी तथा रूकमुदीन के जीवनकान में बदरूदीन कब्जे काश्त में रहा तथा रूकमुदीन बदरूदीन के पास ही रहता था दोनों की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थीगण कब्जा काश्त में चले आ रहे है तथा तहसीलदार के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा वसीयत में वर्णित आराजीयात का नामान्तरकरण अपने हक में कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट चाही गई लेकिन हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आने से पूर्व ही तहसीलदार ने सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तरकरण रूकमुदीन के पुत्रों क नाम चुपचाप बिना अपीलार्थीगण को सुने ही भरा जाकर तस्दीक कर दिया गया तथा तुरन्त–फुरन्त ही आासजीयात का बेचान कर दिया गया तथा अवैधानिक रूप से किया गये बेचान के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण क्रेतागण के नाम भरा जाकर तस्दीक कर दिया, इससे साफ जाहिर है कि तहसीलदार द्वारा की गई समस्त कार्यवाही मिलीभगत से की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने भी इन तथ्यों को इग्नोर करे हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों क प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुन द्वारा अपील संख्या 197/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2012 एवं तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा ग्राम इस्लामुपर का नामान्तरकरण संख्या 544 पर पारित निर्णय दिनांक 08.10.2012 को निरस्त करते हुये

प्रकरण तहसीलदार झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावें कि वे पक्षकारान को विधिवत नोटिस दिया जाकर उन्हे वादोत्तर व प्रत्योत्तर व सबूत, साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ वसीयत एवं कब्जा मौका की जॉच कराकर पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय सादिर करें जिससे अपीलार्थीगण को उचित न्याय व राहत मिल सके एवं अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात से महरूम न हो सके।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदारान द्वारा वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय बेचान करने पर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 544 दिनांक 08.10.2012 को तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि किसी भी सक्षम न्यायलाय द्वारा उक्त विक्रय पत्र को अवैध या शून्य प्रभावी घोषित किया गया हो। ऐसे में विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को निरस्त करने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे और अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त आराजी में अपनी लोकस स्टेण्डाई को साबित करने में भी असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील खारिज योग्य ही थी। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2012 में कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपवरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2012 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।